राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

क्रमांकःनिसआआ / राआम. / 2012 / 80 दिनांक– 6.6.2012

WHITE BOARD

आदेश

प्रायः यह देखने में आया है कि आवासन मण्डल के वृत / खण्ड कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के आवंटी / आम जनता अपने लम्बित कार्यो के निपटारे हेतु आती है तो कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। किसी कारणवश अधिकारी अवकाश अथवा भ्रमण पर होते है तो उनके अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा आवंटियों की सुनवाई नहीं की जाती है।

कई बार अधिकारी एव सम्बन्धित कर्मचारियों की अनुपस्थिति में, अपने कार्यो को लेकर कहां जाना है, का पता नहीं लगने पर आवंटियों द्वारा अनावश्यक चक्कर लगाये जाते है एवं दलालों की शरण में जाने के लिए विवश होना पडता है। इससे आम जनता के शोषण के साथ–साथ आवासन मण्डल की छवि भी विपरीत प्रभाव पडता है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जावें–

1. सभी वृत / खण्ड कार्यालयों में 4x6 फिट अथवा स्थान के हिसाब से उपयुक्त साईज का वाईट बोर्ड कार्यालय के अन्दर, जहां पर आमजनता का आवागमन रहता हो, लगाया जावें।

2. उक्त वाईट बोर्ड पर निम्न प्रारुप में सूचनायें कार्यालय खुलने से पूर्व सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता के निजी सहायक द्वारा भरी जावें–

क.सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	उपस्थित है (√) या नहीं (X) का विवरण	कार्य के लिए किससे सम्पर्क करें।
1.		उप आवासन आयुक्त		
2.		आवासीय अभियन्ता		
3.		लेखाधिकारी (वसूली)		
4.		सहा. लेखाधिरकारी		
5.		सम्पदा प्रबन्धक		
6.		सहा.आवासन अधिकारी		

उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है एवं अनिवार्य रूप से सभी कार्यालयों में संधारित किया जाना सुनिश्चित करें।

6/6/12

(टी.रविकान्त)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि–सूचनार्थ / पालनार्थ–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता / सचिव / वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता–प्रथम, तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर / जोधपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत .....
6. समस्त आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड ....

आवासन आयुक्त